

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आ.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा



प्रकरण संख्या : 17 / 2021

तारीख दायरा 09.02.2021

उनवान

1. बनवारी उर्फ बनवारीलाल पुत्र मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
2. रामलाल पुत्र मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. नरेश पुत्र मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. कमला बाई पत्नि मोती लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद।
5. अनिता बाई पुत्री मोती लाल पत्नि कमलेश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी सागोनी तहसील मनोहर थाना जिला झालावड।
6. मंजूबाई पुत्री मोती लाल पत्नि जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासीनी चारमुर्ति चोराहा के पास बांरा तहसील बांरा जिला बांरा।

-वादीगण

बनाम

1. सीताराम पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. रामकिशन पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. रमेशचन्द्र वर्ष पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. द्वारकीलाल पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद।
5. जगदीश पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा।
6. श्रीराम पुत्र हीरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा राज. हाल बपावर रोड सांगोद जिला कोटा राज.।
7. कमला बाई पुत्री हीरालाल पत्नि जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा हाल बालूहेडा तहसील सागोद जिला कोटा राज.।
8. दुलारी बाई बेंवा श्री हीरालाल पत्नि जगदीश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम डाबरीकलां तहसील सांगोद जिला कोटा हाल खण्डगांव बालूहेडा तहसील सागोद जिला कोटा राज.।

9. दीपक कुमार शर्मा पुत्र स्व.ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी सेन कालोनी बघावर रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
10. प्रकाश शर्मा पुत्र स्व.ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी सेन कालोनी बघावर रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
11. ज्योतिबाला पुत्री स्व.ओमप्रकाश पत्नि रजनीश जाति ब्राह्मण निवासी सेन कालोनी बघावर रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा हाल निवासी हनुमान मन्दिर के पीछे तेल फेकरी बांरा तहसील बांरा जिला बांरा।
12. किरण बाला पुत्री स्व. ओमप्रकाश पत्नि दीनदयाल जाति ब्रह्मण सेन कालोनी बघावर रोड सांगोद तहसील सांगोद हाल निवासी खेडलीकन्दाफल तहसील कनवास जिला कोटा।
13. राधादेवी पत्नि स्व.ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी सेन कालोनी बघावर रोड सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा राज.।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगोद जिला कोटा राजस्थान।
15. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद तहसील सांगोद कोटा।
16. प्रबन्धक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर तहसील सांगोद कोटा।
17. प्रबन्धक स्टेटबैंक ऑफ इण्डिया शाखा सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53, 89, 188, 209 आर. टी. एक्ट 1955

उपस्थित :-

श्री मोहन लाल पोटर (वकील वादीगण)

दिनांक :- 16.07.2021

श्री बहादुर सिंह (वकील प्रतिवादीगण)

—निर्णय—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद इस आशय का प्रस्तुत किया है कि वादीगण 1 ता 6 व प्रतिवादी 1 ता 13 के शामिलती खाते एवं कब्जे की पुस्तैनी आराजीयात माल ग्राम खडिया व डबरीकलां तहसील सांगोद में स्थित है जो निम्न प्रकार है-

माल ग्राम खडिया जमाबन्दी संख्या	नई पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
	111	425	0.76 है.
	149	598	1.57 है.
		1045	3.82 है.
		1047	0.18 है.

1048
कुल किता 5 की कुल क्षेत्रफल 6.73 हैक्टर 0.40 है.

माल ग्राम डाबरीकलां की जमाबन्दी संख्या

नई पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
19 14	965	0.32 है.
	1078	1.40 है.
	1079	1.39 है.
	1079/1447	0.01 है.
	1241	0.01 है.
	1242	3.53 है.
	1243	1.77 है.

कुल किता 7 की कुल क्षेत्रफल 8.43 हैक्टर

माल ग्राम डाबरीकलां की जमाबन्दी संख्या

नई पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
254 244	656	0.97 है.
	657	1.00 है.
	658	1.05 है.
	659	0.39 है.
	660	0.52 है.
	697	0.26 है.
	698	0.10 है.
	699	0.17 है.
	700	0.17 है.

कुल किता 9 की कुल क्षेत्रफल 4.63 हैक्टर

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादीगण व प्रतिवादीगण 1 ता 13 की पुरतैनी आराजी है जिसका भूमि सुधार हेतु विभाजन करवाने का वादी को अधिकार है। वादीगण वाद पत्र में वर्णित आराजी में से ग्राम खडिया की आराजी कुल किता 5 की कुल क्षेत्रफल 6.73 हैक्टर वादीगण अपने पिता के जीवन काल से ही पारिवारिक विभाजन से प्राप्त होने के बाद से ही वादी को गांव से दूर की आराजी की एवज में अधिक आराजी हिस्से में ग्राम खडिया की आराजी आई थी, तब से ही ग्राम खडिया में रहकर अपने परिवार सहित अलग रहकर अपने हिस्से को शान्ति पूर्वक काशत करते चले आ रहा हैं और प्रतिवादी कम 1 ता 13 व अन्य वारिसान ग्राम डाबरी कलां की आराजी को संयुक्त रूप से काशत कर रहे हैं तथा वाद पत्र में वर्णित माल ग्राम डाबरी कलां की आराजी को संयुक्त रूप से प्रतिवादी नं.1 ता 13 काशत कर रहे हैं।

वादीगण द्वारा पारिवारिक विभाजन के बारे प्रतिवादीगण 1ता 13 से कहा तो प्रतिवादी क्रम 1ता 13 ने साफ मना कर दिया और वादीगण पारिवारिक विभाजन में प्राप्त माल ग्राम खडिया की आराजी में विकास कार्य व भूमि सुधार करने लगे तो प्रतिवादीगण 1 ता 13 ने मना कर दिया। वादीगण पटवारी हलका के पास अपना खाता अलग से दर्ज करवाने के लिए गया तो पटवारी

हलका ने अदालत से आदेश लाने की कहने पर वादीगण के पास दावा प्रस्तुत करने के अलावा कोई उपाय नहीं है।

अतः वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में व प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 13 के विरुद्ध निम्न आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि—
वाद पत्र में वर्णित आराजीयात में वादी को वाद में वर्णित में से ग्राम खडिया की निम्न

आराजी
माल ग्राम खडिया जमाबन्दी संख्या

नई पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
145	425	0.76 है.
133	598	1.57 है.
	1045	3.82 है.
	1047	0.18 है.
	1048	0.40 है.

कुल किता 5 की कुल क्षेत्रफल 6.73 हैक्टर आराजी

वादीगण के खाते में दर्ज की जावें तथा राज लगान पृथक किया जावें व इन्द्राज दुरस्त कर प्रतिवादी क्रम 1 ता 13 का रहन भार माल ग्राम खडिया से हटाकर माल ग्राम डाबरी कलां की आराजी हिस्से पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जावें।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया जवाद देही का अवसर दिया गया। प्रतिवादीगण 15 तस 17 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्येन्द्र कुमार गुप्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके अनुसार विवादित आराजी पर रहन भार होने के कारण जब तक आराजी रहन भार मुक्त नहीं हो तब तक आराजी पृथक-पृथक करने पर आपत्ति व्यक्त की है। प्रतिवादी सं. 14 का जवाब अप्राप्त होने से प्रतिवादी सं.14 का जवाब बंद किया जाता है। प्रतिवादी सं. 1 ता 13 की ओर से वकील श्री बहादुर सिंह द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद वादी को स्वीकार करने पर सहमति व्यक्त की। तत्पश्चात वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 ता 13 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर राजीनामे के अनुसार वाद डिक्री करने पर सहमति व्यक्त की। राजीनामे के तथ्य निम्न प्रकार हैं—

हिस्सा वादीगण 1.बनवारी 2.रामलाल 3.नरेश 4.कमलाबाई 5.अनिताबाई 6.मंजूबाई के बांट बराबर खाते की आराजी माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबन्दी संख्या

नई पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
111	149	
	425	0.76 है.
	598	1.57 है.

1045 3.82 है.
1047 0.18 है.
1048 0.40 है.

कुल किता 5 की 6.73 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद।

हिस्सा प्रतिवादी नं.1 सीताराम के खाते एवम् कब्जे की आराजी माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1243	1.77 है.	0.88 है. पश्चिमी
254	657	1.00 है.	0.52 है. दक्षिणी
254	658	1.05 है.	1.05 है. सम्पूर्ण
254	697	0.26 है.	0.26 है. सम्पूर्ण
254	698	0.10 है.	0.10 है. सम्पूर्ण
254	699	0.17 है.	0.17 है. सम्पूर्ण
254	700	0.17 है.	0.17 है. सम्पूर्ण

कुल किता 7 की 3.15 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर।

हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 रामकिशन के खाते एवम् कब्जे की आराजी माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1243	1.77 है.	0.89 है. पूर्वी
19	1078	1.40 है.	1.39 है. पश्चिमी
19	1079	1.39 है.	0.01 है. पश्चिमी
254	657	1.00 है.	0.48 है. उत्तरी
254	659	0.39 है.	0.38 है. दक्षिणी पूर्वी दिशा की

कुल किता 5 की 3.15 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर।

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 द्वाराकी लाल माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	965	0.32 है.	0.16 है. पश्चिमी दिशा की
			कुल किता 1 की 0.16 हैक्टर

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 रमेशचन्द्र माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं. खसरा नं. रकबा हिस्से में आई आराजी
19 965 0.32 है. 0.16 है. पूर्वी दिशा की
कुल किता 1 की 0.16 हैक्टर आराजी

हिस्सा प्रतिवादी सं.3 रमेशचन्द्र का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं.6 श्री राम 1/2 हिस्सा ग्राम
डाबरीकलां

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
254	660	0.52 है.	0.52 है. सम्पूर्ण
254	656	0.97 है.	0.97 है. सम्पूर्ण
254	659	0.39 है.	0.01 है. उत्तरी पश्चिमी दिशा रास्ता

कुल किता 3 की 1.50 हैक्टर आराजी रहन श्री राम का हिस्सा 1/2 रहन बडौंदा राजस्थान क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर।

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 जगदीश माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1079	1.39 है.	1.38 है. पश्चिमी
19	1079/1447	0.01 है.	0.01 है.
19	1078	1.40 है.	0.01 है.

कुल किता 3 की 1.40 हैक्टर आराजी रहन एस बी आई शाखा सांगोद

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 9 दीपक कुमार ग्राम डाबरीकलां

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1242	3.53 है.	1.44 है. पूरब मध्य की
	1241	0.01 है.	0.01 है. सम्पूर्ण

कुल किता 2 की 1.45 हैक्टर आराजी

हिस्सा प्रतिवादी सं.10 प्रकाश शर्मा 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं.11 ज्योतिबाला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी
नं.12 किरणबाला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं.13 राधादेवी 1/4 हिस्सा ग्राम डाबरीकलां

खाता सं.	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1242	3.53 है.	0.32 है. उत्तरी पूर्वी की

कुल किता 1 की 0.32 हैक्टर आराजी

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 6 श्री राम माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1242	3.53 है.	1.77 है. पश्चिमी

कुल किता 1 की 1.77 हैक्टर आराजी आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोन्लर।

वादीगण व प्रतिवादी 1 ता 13 ने उक्त अनुसार राजीनामा कर लिया है। मृतक खातेदार स्व. ओमप्रकाश पुत्र हीरालाल की मृत्यु होने से उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी नम्बर 9 दीपक कुमार, प्रतिवादी 10 प्रकाश शर्मा, प्रतिवादी नं.11 ज्योतिबाला, प्रतिवादी नं.12 किरण बाला, प्रतिवादी नं.13 रघादेवी है।

माल ग्राम डाबरी माल ग्राम खडिया की वाद पत्र में वर्णित आराजी में प्रतिवादी नं. 7 कमला बाई प्रतिवादी नं. 8 दुलारी बाई का कोई हिस्सा नहीं रहेगा।

मेरे द्वारा पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। राजीनामा पेश करते समय समस्त पक्षकारान न्यायालय हाजा में उपस्थित हुए। वादीगण की पहचान वकील वादी द्वारा की गई तथा प्रतिवादीगण 1 ता 13 की पहचान वकील प्रतिवादी द्वारा की गई। राजीनाम खुल न्यायालय में पढकर सुनाया गया। सभी पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर करने पर राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, इकबाली जवाब दावा, राजीनामा इत्यादि का अवलोकन करने पर उक्त रेकार्ड के आधार पर वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होने से वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि-

वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की माल ग्राम खडिया एवं डाबरीखुर्द तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित पुरतैनी आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादीगण को राजीनामा अनुसार निम्न प्रकार से खातेदार कृषक घोषित किया जाता है-

हिस्सा वादीगण 1.बनवारी 2.रामलाल 3.नरेश 4.कमलाबाई 5.अनिताबाई 6.मंजूबाई के बांट बराबर खाते की आराजी माल ग्राम खडिया पटवार हलका खडिया तहसील सांगोद जिला कोटा की जमाबन्दी संख्या

नई पुरानी	खसरा नम्बर	रकबा
111	149	
	425	0.76 है.
	598	1.57 है.
	1045	3.82 है.

1047

0.18 है.

1048

0.40 है.

कुल किता 5 की 6.73 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा सांगोद।

हिस्सा प्रतिवादी नं.1 सीताराम के खाते एवम् कब्जे की आराजी माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1243	1.77 है.	0.88 है. पश्चिमी
254	657	1.00 है.	0.52 है. दक्षिणी
254	658	1.05 है.	1.05 है. सम्पूर्ण
254	697	0.26 है.	0.26 है. सम्पूर्ण
254	698	0.10 है.	0.10 है. सम्पूर्ण
254	699	0.17 है.	0.17 है. सम्पूर्ण
254	700	0.17 है.	0.17 है. सम्पूर्ण

कुल किता 7 की 3.15 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर।

हिस्सा प्रतिवादी नं. 2 रामकिशन के खाते एवम् कब्जे की आराजी माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1243	1.77 है.	0.89 है. पूर्वी
19	1078	1.40 है.	1.39 है. पश्चिमी
19	1079	1.39 है.	0.01 है. पश्चिमी
254	657	1.00 है.	0.48 है. उत्तरी
254	659	0.39 है.	0.38 है. दक्षिणी पूर्वी दिशा की

कुल किता 5 की 3.15 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर।

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 4 द्वारकी लाल माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	965	0.32 है.	0.16 है. पश्चिमी दिशा की

कुल किता 1 की 0.16 हैक्टर

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 3 रमेशचन्द्र माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी

हिस्सा प्रतिवादी सं.3 रमेशचन्द्र का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं.6 श्री राम 1/2 हिस्सा ग्राम
डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
254	660	0.52 है.	0.52 है. सम्पूर्ण
254	656	0.97 है.	0.97 है. सम्पूर्ण
254	659	0.39 है.	0.01 है. उत्तरी पश्चिमी दिशा रास्ता

कुल किता 3 की 1.50 हैक्टर आराजी रहन श्री राम का हिस्सा 1/2 रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक शाखा कमोलर।

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 5 जगदीश माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1079	1.39 है.	1.38 है. पश्चिमी
19	1079/1447	0.01 है.	0.01 है.
19	1078	1.40 है.	0.01 है.

कुल किता 3 की 1.40 हैक्टर आराजी रहन एस बी आई शाखा सांगोद

हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 9 दीपक कुमार ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1242	3.53 है.	1.44 है. पूरब मध्य की
	1241	0.01 है.	0.01 है. सम्पूर्ण

कुल किता 2 की 1.45 हैक्टर आराजी

हिस्सा प्रतिवादी सं.10 प्रकाश शर्मा 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं.11 ज्योतिबाला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी
नं.12 किरणबाला 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी नं.13 राधादेवी 1/4 हिस्सा ग्राम डाबरीकलां

खाता सं	खसरा नं.	रकबा	हिस्से में आई आराजी
19	1242	3.53 है.	0.32 है. उत्तरी पूर्वी की

कुल किता 1 की 0.32 हैक्टर आराजी

हिरसा प्रतिवादी नम्बर 6 श्री राम माल ग्राम डाबरीकलां

खाता सं 19 खसरा नं. 1242 रकबा 3.53 है.

हिस्से में आई आराजी 1.77 है. पश्चिमी

कुल कित्ता 1 की 1.77 हैक्टर आराजी रहन बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा क्मोलर।

उक्त घोषणा के अनुक्रम में इन्द्राज दुरस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। विवादित आराजी पर राजीनामा अनुसार ही रहन भार का नोट दर्ज किया जावें। वाद व्यय वादी स्वयं वहन करें। नियमानुसार डिकी पर्चा पृथक से जारी हो।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद

निर्णय आज दिनांक 16.07.2021 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी सांगोद